पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना

कार्मिक निरीक्षक ग्रेड-III 9300-34800+4200 ग्रेड पे/लेवल-06 के पद पर पदोन्नति हेतु चयन।

वाराणसी मंडल के कार्मिक विभाग में कार्मिक निरीक्षक ग्रेड-III 9300-34800+4200 ग्रेड पे/लेवल-06 के कुल 05 पदों (अजा-03, अजा-01, अजजा-01) हेतु चयन कराने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए पात्रता एवं शर्तें निम्नवत् है -

रेलवे बोर्ड से जारी प्राधिकार पत्र सं0-ई (एनजी)/1/96 सीएफसी/27 दिनांक 10.10.2000 के अनुसार प्रकाशित एबीसी के वरिष्ठ लिपिक वेतनमान 5200-20200+2800 ग्रेड पे में कार्यरत कर्मचारी ही इस चयन परीक्षा में बैठने के पात्र हैं तथा संलग्न प्रोफार्मा पर आवेदन पत्र अंकित है।

वरिष्ठ लिपिक ग्रेड पे संशोधित लेवल-05 में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0-E (NG)/2018/PM 1/9, दिनांक 14.12.18 (RBE No 195/2018)एवं महाप्रबन्धक(का.)/गोरखपुर के पत्र सं0-का/254/चयन/प्रश्न बैंक/निर्देश/चार/80 दिनांक 20.03.2019 के अनुसार पदोन्नति परीक्षाओं को सरल बनाने एवं शीघ्र निपटारे हेतु 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। परीक्षा में 100 प्रश्न पत्र एवं समय 90 मिनट रखा गया है।

इच्छुक कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों में से 3X फार्मूला के तहत समुदायवार सीनियारिटि से वरिष्ठतम कर्मचारियों को लिखित चयन में सम्मिलित किया जायेगा।

लिखित अंक का 10 प्रतिशत प्रश्न (विकल्प के तौर पर) राजभाषा से संबंधित होगा जिसका उत्तर देना अनिवार्य नहीं है।

चूंकि यह चयन वरीयता सह- सुयोग्यता के आधार पर चयन कराया जाना है जिसमें रेलवे बोर्ड के पत्र सं. के अनुसार नकारात्मक अंक नहीं काटे जायेंगे।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0-E (SCT)1/42/2 दिनांक 11.01.1991 के अनुसार अजा/अजजा कर्मचारियों को प्री सेलेक्शन कोचिंग कराये जाने का प्रावधान है जिसकी सूचना बाद में दी जायेगी।

परीक्षा चूंकि OMR शीट में कराया जाना है इसके लिए काले बाल पेन साथ लाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त परीक्षा में किसी भी प्रकार इलेक्ट्रानिक गजेट (मोबाईल/कैलकुलेटर) तथा बैग इत्यादि लाना वर्जित है।

चयन हेतु लिखित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है जो कर्मचारी प्रशासनिक कारणों से या स्वयं के नियंत्रण से परे कारणों से निर्धारित तिथि को लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पायेंगे उनको सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने पर पूरक लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है।

10. इच्छुक एवं सक्षम कर्मचारी अपना आवेदन पूर्ण रुप से इस कार्यालय द्वारा संलग्न प्रारुप पर भरकर अपने नियंत्रक पर्यवेक्षक/ अधिकारी के समक्ष दिनांक 21.09.20 तक जमा करेंगे। नियंत्रक, पर्यवेक्षक/अधिकारी आवेदन को अग्रसारित कर मंडल रेल प्रबंधक(का.) वाराणसी को भेजने की व्यवस्था करेंगे। अधिसूचना प्रकाशित की तिथि के पश्चात् उक्त पद हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 21.09.20 होगी। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रारुप एवं पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि संलग्न है। कृपया संबंधित पर्यवेक्षक इसे संबंधित कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का.)
वाराणसी
दिनांक 20.08.20

का/प/254/का.नि./पांच/II

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

महाप्रबन्धक (सतर्कता)/गोरखपुर

कार्याधि, सकाधि

मकाअ-I, II

सभी कार्यालयाधीक्षक (का.) कैडर/वारा., समई/पूर्व/प/मऊ

मंत्री मंडल नरमू/अजा, अजजा एसो/ओबीसी एसो/वारा.

रक्षा प्रति

20/8/20

कृते मंरेप्र (का.)/वाराणसी

कार्मिक निरीक्षक ग्रेड-3 (वे0मा0-9300-34800+ ग्रेड पे रू0 4200/-)/ लेवल- 6 पर पदोन्न्ति हेतु आवेदन प्रपत्र-

1- कर्मचारी का नाम- --

2- पिता का नाम- --

3- जन्म तिथि- --

4- शैक्षिक योग्यता- --

5- प्रारंभिक नियुक्ति तिथि/पदनाम- --

6- कार्यस्थल- --

7- मौलिक हैसियत-

(अ) कोटि -

(ब) वेतनमान -

(स) पदोन्न्ति तिथि -

(द) स्थायीकरण की तिथि -

8- स्थानापन्न् स्थिति -

(अ) कोटि -

(ब) वेतनमान -

(स) पदोन्न्ति तिथि -

(द) नियमित/आकस्मिक/स्थायी/तदर्थ जो भी स्थिति हो --

9- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति दोनों में से कौन सा है यदि ऐसा है तो जाति का उल्लेख करें --

10- कल्याण कार्य में विशेष अभिरूचि --

11- अन्य अभिरूचि यदि कोई हो --

12- दिनांक------------------

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा भरे गये उपयुक्त विवरण सही हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

...क निरीक्षक ग्रेड-III (9300-34800 ग्रेड पे 4200) लेवल-06 के पद के लिए पाठ्यक्रम :-

1. सेवा की शर्ते, सेवा करार पत्रर्म का भरना, जन्मतिथि का अभिलेख ।
2. विभिन्न अवकाश नियम, अवकाश खाता का
3. भविष्य निधि और भविष्य निधि में विशेष अंशदान नियम, भविष्य निधि से सम्बन्धित कागज पत्रों की तैयारी एवं भविष्य निधि से सम्बन्धित विशेष अंशदान के लिए आवेदन ।
4. कर्मचारी कल्याण निधि नियम ।
5. शैक्षिक सहायता नियम ।
6. मूल वेतन एवं स्थानापन्न वेतन का निर्धारण ।
7. वेतन बढ़ोत्तरी एवं प्रोन्नति ।
8. मजदूरी भुगतान अधिनियम ।
9. श्रमिक के क्षतिपूर्ति अधिनियम, क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित कागज पत्रों की तैयारी ।
10. सेवायोजन नियम के घंटे, समयोपरि की गणना ।
11. निपटारा (सेटलमेंट) से सम्बन्धित कागज पत्रों की तैयारी, निपटारा, देय राशि की शीघ्र भुगतान ।
12. अग्रिम
13. अनुशासन एवं अपील नियम ।
14. डीएआर ।
15. नगद यात्रा भत्ता और वास्तविक खर्चे की बिलो की तैयारी ।
16. पास नियम ।
17. अराजपत्रित कर्मचारियों का सेवा अभिलेख फोल्डर, फोल्डर एवं सेवा पुस्तिका इत्यादि ।
18. स्थापना के मामलों में अधिकारी प्रतिनिधि ।
19. अग्रदाय धन का लेखा जोखा ।
20. स्टेशन अर्निंग से भुगतान ।
21. चिकित्सा सेवा सत्यापन ।
22. आयकर की गणना ।
23. शिकायतों/परिवादों के निपटारा सम्बन्धी कार्य ।
24. रेलवे पेंशन नियम ।
25. सहकारी कर्मचारियों के वेतन या दूसरी सेवा शर्तो की जानकारी और उससे सम्बन्धित विभिन्न समितियों एवं आयोगों की रपट ।
26. राजभाषा अधिनियम ।